COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

162

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण – R 1618- PBR/13

हरनाम सिंह पुत्र निहाल सिंह दांगी

निवासी ग्राम–डाबर तहसील–विदिशा

जिला–विदिशा

विरूद्ध

1. ज्ञान सिंह पुत्र निहाल सिंह दांगी

2. बुन्देल सिंह पुत्र मोहन सिंह दांगी

निवासीगण ग्राम–डाबर

तहसील विदिशा जिला–विदिशा

अपर आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/2011–12 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 08–02–2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक–2 के मध्य उनकी कृषि भूमि का बंटवारा दिनांक 12–01–1990 को पंजीकृत विलेख द्वारा हुआ था पंजीकृत बंटवारे के आधार पर दिनांक 10–05–1990 को बंटवारे के अनुसार दोनों पक्षों का नामांतरण किया गया था उक्त नामांतरण आदेश को अनावेदक क्रमांक 2 ने कभी आक्षेपित नहीं किया बंटवारे के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक–2 अपने–अपने भाग पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है.

2. यह कि, अनावेदक क्रमांक 1 का नाम बंटवारा की गई भूमि पर कभी–भी राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं रहा अनावेदक क्रमांक 1 ने दिनांक 10–05–1990 के नामांतरण आदेश के विरूद्ध 18 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जो नितांत समयवाधित थी इस अपील में अनावेदक क्रमांक 2 उपस्थित नहीं हुआ अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

3. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर स्वीकार कर नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया कि नामांतरण आदेश से राजस्व की हानि हुई है, राजस्व निरीक्षक को बंटवारा करने का अधिकार नहीं था तथा प्रकरण अनावश्यक रूप से पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया अनुविभागीय अधिकारी ने अपील की समयावधि बिन्दू

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 1618-PBR/2013 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.7.16	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 94/2011-12 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 8-2-2013 के विरूद्व है। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक एंव अनावेदकगण के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी कमांक 94/2011-12 में पक्षकारों ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 8-2-13 से निरस्त कर प्रकरण 25-5-13 में अंतिम बहस हेतु नियत कर दिया, जिसके विरूद्व यह निगरानी की गई है। 4/ न्यायालय में प्रचलित निगरानी कमांक 1080-एक/2016 के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त पद 3 में वर्णित अंतरिम आदेश दिनांक 8-2-13 के वाद अपर आयुक्त,भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 94/2011-12 निगरानी में पारित दिनॉक 30-1-2016 से निगरानी प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण अपर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल के अंतरिम आदेश दिनॉक 8-2-2013 के विरूद्व प्रचलित निगरानी अप्रचलनशील हो जाने से प्रकरण कमांक 1618-पीबीआर/2016 निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	